न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 38/2008

RCMS Case No. 2008/00014

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण:

मृत लादाराम पुत्र चेलाजी जाति चौधरी निवासी सादलवा तहसील बाली के का0मु0

1. जगाराम
2. रताराम पि0 लादाराम जातिगण चौधरी निवासीगण सादलवा
3. सुखी पुत्री लादाराम पत्नी गमनाराम जाति चौधरी निवासी लुणावा
4. पूनी पुत्री लादाराम पत्नी बाबुलाल निवासी सेवाड़ा गुडा तहसील बाली
5. गजरो पुत्री लादाराम पत्नी भूराराम निवासी लुणावा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण:

मृत गमनाराम पुत्र लादाराम जाति चौधरी निवासी सादलवा के का0मु0

1. मृत शिवलाल पुत्र गमनाराम के का0मु0
   1.1 कंकु बेवा शिवलाल
2. सखाराम पुत्र गमनाराम
3. जोधाराम पुत्र गमनाराम
4. भगाराम पुत्र गमनाराम
5. नेकाराम पुत्र गमनाराम
6. दूदा पुत्र गमनाराम जातिगण चौधरी निवासीगण सादलवा तहसील बाली जिला पाली
7. ग्राम पंचायत भीटवाड़ा जरिये सरपंच, तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/6/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 610/1977 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 18.08.1977 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी गमनाराम पुत्र लादाराम जाति चौधरी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। अप्रार्थीगण एवं उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण में पैरवी हेतु अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा हैं, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण के पिता लादाराम पुत्र चेलाराम के नाम से नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा भी जारी किया हैं। प्रार्थीगण की पट्टासुदा आराजी पर अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध रूप से निर्माण कर कब्जा करने पर उतारू हुए, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को रोका। इसके पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से माननीय सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खण्ड) बाली के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर करवाया तथा उक्त वाद का आधार जैर निगरानी पट्टे को बनाया। प्रार्थीगण को उक्त पट्टे की जानकारी होने पर उन्होने ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्धित रेकर्ड प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत से प्रार्थीगण को अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पट्टे के अतिरिक्त कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं था। अप्रार्थीगण के पिता गमनाराम तत्समय ग्राम पंचायत भीटवाडा में पंच थे तथा पंच के पद पर रहते हुए उन्होने जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1953 के नियम 21 (8) का उल्लंघन हैं। इसके अतिरिक्त पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में जो राशि जमा करवाई गई, वह सार्वजनिक स्थान हेतु पट्टा जारी करने की जमा करवाई गई, जबकि पट्टा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया एवं पट्टाधारक के वारिशान द्वारा भी उक्त आराजी को व्यक्तिगत रूप से उपयोग उपभोग करने की चेष्ठा की जा रही है, जबकि उक्त आराजी किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं होकर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग की होकर पट्टासुदा आराजी है, जिस पर प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से काबिज हैं। अप्रार्थीगण के पिता गमनाराम, जो कि तत्कालीन पंच था, उसने अपने प्रभाव का गलत रूप से इस्तमाल कर विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए बिना कोई मिसल कायम किए, बिना रेकर्ड तैयार करवाए विधि विरूद्ध रूप से पट्टा जारी करवाया है, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं हैं, जो जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को संदेहास्पद बनाता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से पंचायती राज अधिनियम 1953 की धारा 21 (8) का दुरूपयोग करते हुए तत्कालीन वार्ड पंच के नाम से पट्टा जारी किया गया है, जो न्यायोचित नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 1995 पेज 458, डी0एन0जे0 1996 पेज 413, डी0एन0जे0 2015 (1) पेज 443, डी0एन0जे0 1996 पेज 144 तथा आर0एल0डब्ल्यू0 2000 (2) पेज 911 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/2008/07 दिनांक 30.07.2008 के जरिये जाहिर किया कि प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत कार्यालय में जैर निगरानी पट्टा के अतिरिक्त अन्य कोई रेकर्ड यथा मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर आदि पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संदेहास्पद बनाता हैं। अब जैर निगरानी पट्टे का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 610/1977 के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 28.08.1977 की पालना में दिनांक 02.11.1977 को अप्रार्थी गमनाराम, वार्ड पंच ग्राम सादलवा खेतलाजी का सार्वजनिक स्थान के तौर पर जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे की पूर्वी एवं पश्चिमी भुजा क्रमशः 48–48 फीट तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा क्रमशः 100–100 फीट है। प्रश्नगत आराजी के पूर्व एवं पश्चिम में रास्ता तथा उत्तर में काना पुत्र दीपा एवं दक्षिण में मोटा पुत्र चेला का बाडा होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा इसी भूमि पर अपने पिता लादाराम पुत्र चेलाजी चौधरी के नाम से पट्टा संख्या 77 जारी होना बताया है, जिसकी उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा क्रमशः 75–75 फीट तथा पूर्वी एवं पश्चिमी भुजा क्रमशः 50–50 फीट होना जाहिर किया। प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी पट्टे में पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में रास्ता अंकित है तथा दक्षिण में लूम्बा पुत्र चेला स्थित होना अंकित हैं। अब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम जारी पट्टे की प्रस्थिति का परस्पर मिलान किया जाता है, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी के पट्टे में दक्षिण की ओर मोटा पुत्र चेला का बाडा स्थित है, जबकि प्रार्थी के पूर्वज के नाम जारी पट्टे के दक्षिण में लुम्बा पुत्र चेला का बाडा है, जिसके दक्षिण में मोटा पुत्र चेला का बाडा है। अप्रार्थी के पूर्वज के नाम जारी पट्टे के उत्तर में काना पुत्र दीपा अंकित है, वहीं काना पुत्र दीपा की भूमि प्रार्थी के पट्टे के उत्तर दिशा में खेतलाजी जाने वाले रास्ते के पश्चात अंकित हैं। दोनो ही पट्टों में समान रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में रास्ता अंकित हैं। यदि गमनाराम के नाम जारी पट्टा संख्या 7 को लादाराम के नाम जारी पट्टा संख्या 77 पर सुपर इम्पोज किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही पट्टे एक ही आराजी पर जारी किए गए है, जो परस्पर विरोधाभाषी माप अंकित करते हुए जारी किए गए हैं। यदि किसी हद तक अप्रार्थी का पट्टा विधिवत मान भी लिया जावे तो इसकी प्रस्थिति भौतिक स्वरूप से मिलान नहीं करती है, क्योंकि पट्टा संख्या 7 के उत्तरी एवं दक्षिण पडौस के मध्य की भूमि को रेखांकित किया जाता है, तो पट्टा संख्या 77 के अनुरूप इसमें लूम्बा पुत्र चेला, लादाराम पुत्र चेला तथा खेतलाजी का रास्ता भी सम्मिलित होता है, जिसका क्षेत्रफल भिन्न हैं। इस प्रकार उक्त पट्टा न तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं न ही पडौस की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत होता हैं। जहां तक पट्टा जारी करने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर होकर निर्णित हुए हैं, किन्तु उन वादों में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर प्रश्नगत एवं परीक्षित नहीं हुई हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जो प्रावधान वर्णित है, उनका उद्धरण इस प्रकार है – 97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति – (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सरकार को यह प्रतीत होता हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया जाना या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त सन्दर्भित धारा में न्यायालय हाजा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा की विधिकता आदि जांचने के अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ यह तथ्य रेखांकित करने योग्य हैं कि ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे के अतिरिक्त अन्य कोई रेकर्ड ही उपलब्ध नहीं है, जिसकी प्रकरण हाजा में समीक्षा की जा सके। यह स्थिति प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाती हैं। जैर निगरानी पट्टे में अंकित इबारत के आधार पर इसका परीक्षण किया जाता है तो उससे स्पष्ट होता है कि गमनाराम तत्समय वार्ड पंच था, जिसके पक्ष में प्रश्नगत आराजी का पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 21 की उप–धारा 8 (क) के अनुसार ''कोई भी पंच, किसी ऐसे प्रश्न पर, जिस पर पंचायत की बैठक में विचार किया जाने वाला है, मत नहीं देगा या उसमें किए जाने वाले विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, यदि वह विषय ऐसा है, जिसमें इसके जनता पर लागू होने के अलावा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा कोई धन सम्बन्धी हित रखता हो।'' प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत द्वारा पंच के पक्ष में ही पट्टा जारी किया जाना उपरोक्त धारा के दुरूपयोग की श्रेणी में परिलक्षित होता हैं। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 458 के पैरा संख्या 4 में यह अभिनिर्धारित किया कि ''Rules 255 to 265 of the Rajasthan Panchayat and Nyaya Panchayat (General) Rules, 1961 prescribed an elaborate procedure for the sale of abadi land which require filing an application for purchase, publication of notice, disposal of objections and then public auction of the land at which every intending purchaser gets equal opportunity for making the purchase. In view of the uncontroverted averments in the petition it must be accepted that no auction atleast as required by these Rules was held by the Gram Panchayat. That apart equal opportunity to all intending purchasers to purchase any public property is also the requirement of Article 14 of the Constitution. Since the distribution of the State largess cannot be made arbitrarily by any public functionary, the sale of this land to respondents no. 4 and 5 is, therefore, clearly invalid. This being so and the petition having been admitted for hearing in the year 1979 there is no occasion to decline interference even in such a situation on the ground of existence of an alternative remedy. As already indicated there is a clear violation not only of the Rules but also of Article 14 of the Constitution" इससे यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें नियमों को पूर्णतः अनदेखा किया गया हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक धनीय लाभ का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2015 (1) पेज 443 में यह प्रतिपादित किया कि '' Rajasthan Panchayat (General) Rules, 1961, Rules 261 to 266 - Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, Rule 156 - Allegation of issuing 14 pattas by Sarpanch in her own name and members of the family - Patta issued on the basis of alleged old possession - In absence of any material on record about the long possession of the petitioners over the lands in question so as to give rise to plausible claim of title, the decision taken by the Panchayat to straight away issue pattas in favour of the petitioners presuming the plausible claim of title of the petitioners, is ex facie contrary to the provisions of the relevant Rules - Merely because, a notice was issued and no objections were received, it cannot lead to a conclusion that the petitioners' old possession

अति. जिला कलेक्टर, पाली

over the lands in dispute stand established - It is the duty of the Panchayat to come to the definite conclusion on the basis of the material on record that the applicants claiming the sale of the Abadi land by private negotiation have plausible claim of title to the land - Further proceedings placed on record reveals that nowhere the Panchayat has recorded its satisfaction that the auction may not fetch reasonable price - As per 156(2), Panchayat is not entitled to transfer the abadi land by private negotiation on a rate below index price fixed by the Sub-Registrar - Huge land transferred in just a price of L 200/- to L 750/- only - Case of grabbing the public land by public representative - Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment - Order cancelling patta held justified.'' यह सिद्धान्त भी प्रकरण हाजा पर पूर्णतः चस्पा होता है, क्योंकि प्रकरण हाजा में भी एक वार्ड पंच के पक्ष में विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए पट्टा जारी किया गया है, जिसे कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 610/1977 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 18.08.1977 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी गमनाराम पुत्र लादाराम जाति चौधरी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 02.11.1977 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/6/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली